Department of Medical Health & Family Welfare, Uttar Pradesh

बिहार सरकार

विकसित बिहार के 7 निश्चय

बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

शिक्षा विभाग
बिहार सरकार

सूचना

Advt. No.–SPMU/04/2023

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अंतर्गत बिहार अवस्थित निजी संस्थानों के लिए मानक निर्धारण की गई है, जो इस प्रकार है:–

I) बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत MNSSBY पोर्टल पर अंकित बिहार राज्य अवस्थित निजी संस्थान जो पाँच वर्ष की अवधि अथवा दो बैच का सत्र अवधि (दोनों में जो कम हो) पूर्ण कर चुका है।उक्त संस्थान योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु सत्र–2023–24 के लिए NIRF अथवा NBA अथवा NAAC की ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए समर्पित आवेदन की सत्यापित छाया प्रति SPMU कार्यालय को तीन माह के अंदर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेगें। वैसे सभी संस्थानों को सत्र–2024–25 से NIRF अथवा NBA अथवा NAAC का न्यूनतम ग्रेडिंग C तथा सत्र–2025–26 से NIRF अथवा NBA अथवा NAAC का न्यूनतम ग्रेडिंग B से अर्हत्ता प्राप्त होना अनिवार्य होगा।

ii) MNSSBY पोर्टल पर अंकित बिहार राज्य अवस्थित ऐसे निजी संस्थान जिनकी पाँच वर्ष की अवधि अथवा दो बैच की सत्र अवधिपूर्ण नहीं हुई है,वैसे संस्थान इस आशय का शपथ पत्र दाखिल करेगें की पाँच वर्ष की अवधि अथवा दो बैच की सत्र अवधि (दोनों में जो कम हो) पूर्ण करते ही तीन माह के अंदर SPMU कार्यालय को NIRF अथवा NBA अथवा NAAC के ग्रेडिंग प्राप्त करने के लिए समर्पित आवेदन की सत्यापित छाया प्रति उपलब्ध करवायेगें।

iii)उपरोक्त अर्हत्ता तत्काल प्रभाव से बिहार अवस्थित सभी निजी संस्थानों के लिए लागू होगी।

Email Id- spmubscc@bihar.gov.in
Ph. No.- 0612-2230059

प्रभारी पदाधिकारी,
SPMU, BSCC

संयुक्त सचिव
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना

PR- 007291 (Education) 2023-24

नशे से बनानी दूरी है, क्योंकि परिवार जरूरी है